सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां
जिला जोधपुर

मु.न. 207/A/19
मि.दि. 18/2/19

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–:: आदेश ::–

राजस्व विभाग (ग्रुप 6) के पत्र क्रमांक प.3 (2) राज–6 / 2003 / पार्ट / दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्थान सरकार द्वारा जारी रास्ता अभियान के अन्तर्गत रास्तों की समस्याओं के निवारणार्थ राजस्व विभाग से सर्वे करवाकर मौके पर जारी रास्तों के राजस्व रेकर्ड में अकंन बाबत् प्रस्ताव आमत्रिंत किया गया। इसी सन्दर्भ में तहसीलदार बापिणी द्वारा तहसील बापिणी के पटवार मण्डल ईशरू के राजस्व ग्राम सन्तोक नगर के प्रस्ताव संख्या (2) राईका नाथ जी की संमाधी से धनजीरों राईकों की ढाणियां तक रास्ता दर्ज करने के प्रस्ताव प्रेषित किए गए है। इस सन्दर्भ में अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 14 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा किस्म बी–4 में से 01 बीघा, खसरा नम्बर 11 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा किस्म बी–4 मे से 0.12 बिस्वा, खसरा नम्बर 101 रकबा 53 बीघा 02 बिस्वा किस्म बी–4 में से 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 114 रकबा 116 बीघा 09 बिस्वा किस्म बी–4 में से 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 113 रकबा 30 बीघा 06 बिस्वा किस्म बी–4 में से 0.07 बिस्वा, खसरा नम्बर 120 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा किस्म बी–4 में से 01 बीघा, खसरा नम्बर 124 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा किस्म बी–4 में से 0.10 बिस्वा, खसरा नम्बर 123 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा किस्म बी–4 में से 0.06 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बापिणी को आदेश दिया जाता है कि इसी अनुसार मौके पर रास्ता चालू होने की स्थिति में राजस्व रेकर्ड (जमाबन्दी एवं नक्शे) में नियमानुसार अकंन किया जावे। निजी खातेदारी की भूमि में स्थायी सावर्जनिक रास्ता संबंधित खातेदार में ही रहेगा। परन्तु जमाबंदी व नक्शे में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा और भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावे। राजकीय भूमियों के अधीन भूमियों में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में रेकर्ड में अकंन किया जावे। तहसीलदार बापिणी आदेशानुसार दर्ज कर पालना इस न्यायालय को प्रेषित करे।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर, ओसियां
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

दिनांक – 1-3-19

क्रमांक / सम / कोर्ट / 2019 / 320-21

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:33:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि –

1. तहसीलदार बापिणी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी ओसियां
सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner